भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 288

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थी

288. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत कर्नाटक में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और हाशिए पर पड़े अन्य समूह के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और साथ ही जिलावार उनमें से कितने परिवारों को आवंटित किया गया है/अभी प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) कर्नाटक में उक्त कमजोर समूहों की पहचान करने और आवंटन प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कर्नाटक में पीएमएवाई-जी के आवासों के चयन और आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में पीएमएवाई-जी के तहत घरों का निर्माण-कार्य समय पर पूरा करने और आवंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है , ताकि मार्च 2029 तक पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके बुनियादी सुविधाओं वाले 4.95 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए "वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन" के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है। दिनांक 28.11.2025 की स्थिति के अनुसार , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4.14 करोड़ आवासों का लक्ष्य दिया गया है , जिसमें से 3.86 करोड़ आवासों को मंज़ूरी

मिल चुकी है और 2.91 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं और अन्य पिछड़े ग्रुप के लाभार्थियों की ज़िले -वार संख्या, आवाससॉफ्ट पर नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

https://rhreporting.nic.in/netiay/SocialProgressReport/Ownershipdetailsofhousessanctionedreport.aspx

https://rhreporting.nic.in/netiay/SocialProgressReport/Categorywisehousescompletedreport.aspx

इसके अलावा, कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवास+ 2018 लिस्ट में 27.11.2025 की स्थिति के अनुसार परिवारों की ज़िले -वार संख्या अनुबंध I में दी गई है।

(ख) पीएमएवाई-जी के तहत, इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत उल्लेखित आवास अभाव मानकों और बहिष्करण मानदंडो के आधार पर सबसे अभावग्रस्त पात्र लाभार्थियों को लाभ देना है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए लक्ष्य का कम से कम 60% हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के परिवारों के लिए रखा गया है, बशर्ते स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में पात्र लाभार्थी मौजूद हों। निर्धारित की गई सीमा सिर्फ़ उस न्यूनतम सीमा को बताती है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए और अगर राज्य /संघ राज्य क्षेत्र चाहें, तो वे संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए इन श्रेणी के तहत लक्ष्य में कुछ और जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय पूरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्य देता है और राज्य /संघ राज्य क्षेत्र, ज़िला-वार/ब्लॉक-वार/ग्राम पंचायत-वार लक्ष्य तय करता है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत, खास तौर पर कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को पक्के आवास देना, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कार्यकलापों में से एक है। इसका लक्ष्य पीएमएवाई-जी के साथ मिलकर 4.90 लाख पात्र पीवीटीजी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के आवास बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दिनांक 28.11.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 4.71 लाख आवासों को मंज़ूरी दी गई है और 2.40 लाख आवास पूरे हो चुके हैं।

(ग) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत बताए गए आवास अभाव मानकों और बहिष्करण मानदंडो के आधार पर की जाती है। ये मानदंड एसईसीसी 2011 डेटाबेस पर लागू किए गए थे और डेटाबेस से आवासों की सिस्टम द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची पर ग्राम सभा की बैठक

में विचार-विमर्श किया गया था। ग्राम सभाओं से सही सत्यापन और अपील प्रक्रिया पूरा होने के बाद , ग्राम पंचायत -वार स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) तैयार की गई। इसके बाद, जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास+ 2018 सर्वे किया गया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके , जो पीडब्ल्यूएल में शामिल होने के लिए पात्र हैं , लेकिन एसईसीसी 2011 से बाहर होने का दावा करते हैं। इस कार्य में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अतिरिक्त परिवारों का विवरण अपलोड किया है, जिनका ग्राम सभा सत्यापन और अपील प्रक्रिया भी हुआ।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएवाई -जी को 5 और वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) के लिए विस्तार देने को अनुमोदित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार , कर्नाटक राज्य सहित राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान के लिए आवास + 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से ई -केवाईसी चेहरा-आधारित प्रमाणीकरण और संशोधित बहिष्करण मापदंडों के साथ एक नया सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

(घ) कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई -जी के तहत आवासों को समय पर पूरा करना और आवास प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय निम्न कदम उठा रहा है:

1. मंत्रालय स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा करना।
2. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई -जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड आरंभ किया गया।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर लक्ष्य देना और आवश्यक निधि जारी करना।
4. केंद्र और राज्य की निधि का वितरण सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान करने के लिए राज्य के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना।
5. कार्य निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों , जिलों को पुरस्कार , जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा का सृजन हो।

अनुबंध I

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 288 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत आवास + 2018 सूची में 27.11.2025 की स्थिति के अनुसार जिले -वार और श्रेणी -वार परिवारों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जिला	अ.ज.जा.	अ.जा.	अन्य	अल्पसंख्यक
1	बागलकोट	1,526	4,461	25,343	1,950
2	बल्लारी	7,016	5,566	13,545	2,090
3	बेलगावी	5,193	7,317	89,810	7,978
4	बेंगलुरु	49	545	758	10
5	बेंगलुरु ग्रामीण	182	502	468	28
6	बीदर	5,734	8,873	37,040	7,658
7	चामराज नगर	4,971	11,510	21,696	1,564
8	चिक्काबल्लापुरा	1,026	1,633	3,161	393
9	चिक्कामगलुरु	191	1,245	1,607	77
10	चित्रदुर्ग	5,853	6,014	16,429	816
11	दक्षिण कन्नड़	53	148	1,350	358
12	दावणगेरे	1,762	2,295	4,640	563
13	धारवाड़	1,580	2,020	37,298	6,720
14	गडग	1,711	3,610	33,823	3,670
15	हासन	687	6,832	33,068	1,060
16	हावेरी	2,293	3,506	22,005	5,221
17	कलबुर्गी	657	11,308	84,501	14,261
18	कोडागु	433	977	2,339	178
19	कोलार	737	3,149	5,256	528

20	कोप्पल	3,960	4,301	32,204	3,352
21	मंड्या	277	3,398	20,300	75
22	मैसूर	3,420	5,503	12,989	318
23	रायचूर	10,528	8,281	37,840	5,467
24	रामनगर	60	493	800	25
25	शिवमोग्गा	313	1,058	4,149	243
26	तुमकुरु	2,816	5,934	23,220	1,454
27	उडुपी	4	31	76	11
28	उत्तर कन्नड़	400	573	4,760	397
29	विजयनगर	931	1,243	2,303	333
30	विजयपुरा	629	7,923	54,028	8,538
31	यादगीर	3,930	6,272	29,653	3,476
	कुल	**68,922**	**1,26,521**	**6,56,459**	**78,812**

*****